# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, इटावा, जिला कोटा ( राज.)
## (बइजलास अंजना सहरावत आर.ए.एस.)

| मिसल न0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 23 / 2023 | 09 / 03 / 2023 | 11 / 08 / 2023 |

**बउनवान**

राकेश पुत्र रामस्वरूप, जाति–मीना, निवासी–खोड़ावदा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. (वादी)

**बनाम**

(1.) गीता बाई पुत्री बजरंगा, पत्नी वीरभान जाति–मीना, निवासी–खोड़ावदा, हाल निवासी –लुहावद, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा राज.
(2.) जानकी बाई पुत्री बजरंगा, जाति–मीना, निवासी–खोड़ावदा, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा राज.
(3.) अंकित नाबालिग पुत्र श्री जोधराज, नाबालिग जर्ये वली माता मीनाक्षी पत्नी श्री जोधराज, जाति–मीना, निवासी–खोड़ावदा, तहसील– पीपल्दा , जिला– कोटा राज.
(4.) खुशी नाबालिग पुत्री श्री जोधराज, नाबालिग जर्ये वली माता मीनाक्षी पत्नी श्री जोधराज, जाति–मीना, निवासी–खोड़ावदा, तहसील– पीपल्दा , जिला– कोटा राज.
(5.) नीतू नाबालिग पुत्री श्री जोधराज, नाबालिग जर्ये वली माता मीनाक्षी पत्नी श्री जोधराज, जाति–मीना, निवासी–खोड़ावदा, तहसील– पीपल्दा , जिला– कोटा राज.
(6.) राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज।
( प्रतिवादीगण )

**वाद अर्न्तगत धारा –88,89,53,188 आर.टी.एक्ट**

**निर्णय**

वादी द्वारा न्यायालय में इस कथन के साथ वाद प्रस्तुत किया कि वादी तथा प्रतिवादीकम 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में ग्राम–खोड़ावदा, . पटवार क्षेत्र–इटावा, भू0अभि क्षेत्र–इटावा ,तहसील– पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 खाता न0 नया 81 पुराना 69 पर ख.न. 155 रकबा–0.05 हे0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा–0.40 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि को वाद पत्र की आगे की मदो में विवादित आराजी कहा गया है।

कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबन्दी संवत 2059–2062 वादी के दादा बजरंगा पुत्र धन्ना के खाते दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण न0 128 वादी के पिता व अन्य वारिसान के नाम विवादित आराजी पर विरासतन दर्ज हुए है। तथा अन्य वारिसान के हकत्याग के उपरान्त विवादित आराजी पर वादी का नाम 13 / 24 हिस्सा पर दर्ज है। तथा पारिवारिक सजरा प्रदर्शित कर कथन किया कि मुताबिक सजरा प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी की बुआ तथा प्रतिवादी कम 3 ता 5 वादी के काका के वारिसान है। सहखातेदारान बाबूलाल , मौसमी एवं मीनाक्षी ने वादी के पक्ष में विवादित आराजी पर हकत्यापत्र द्वारा अपने सम्पूर्ण हक समर्पित कर दिये है।

यह कि वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 मीना जाति के है जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है, तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं। मुताबिक सजरा प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी तथा प्रतिवादी कम 3 ता 5 के पिता की बहने हैं जिनका कि विवादित आराजी में विरासतन कोई अधिकार

नहीं बनता है। किन्तु विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 1 ता 2 ने बिना किसी अधिकार व आधार के अपना नाम दर्ज करवा लिया है जिसका प्रतिवादी कम 1 ता 2 को कोई अधिकार नहीं था। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 ता 2 का नाम हटवाये।

यह कि विवादित आराजी मद न0 1 में वर्णित भूमि वादी की पैतृक आराजी है जिस पर वादी का 3/4 हिस्सा निहित है, किन्तु त्रुटिपूर्ण तरीके से उपरोक्त आराजी में वादी का हिस्सा त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दिया गया है तथा विवादित आराजी पर त्रुटिपूर्वक प्रतिवादी कम 1 ता 2 का नाम दर्ज कर दिया गया है, इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करने का प्रतिवादी कम 6 को कोई अधिकार प्राप्त नही हैं इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी में इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुये विवादित आराजी मद न0 1 में वर्णित भूमि में अपने निहित 3/4 हिस्से पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये।

यह कि विवादित आराजी मे वादी मद न0 1 में वर्णित भूमि में 3/4 हिस्सा का सहखातेदार काबिजि कृषक है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में दर्ज होने के कारण वादी को विवादित भूमि में कृषि कार्य करने व भूमि का लगान पिलाई आदि जमा करवाने तथा अपने हिस्से की भूमि पर कृषि विकास कार्यो को करवाने आदि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी को लेकर विवाद होता रहता है। प्रतिवादीगण कई बार वादी के निवेदन पर भी विभाजन करवाने को तैयार नहीं है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजी में निहित अपने मद न0 1 में वर्णित भूमि में 3/4 हिस्सा का विभाजन करवाये तथा अपना पृथक खाता पृथक लगान कायम करवाये।

यह कि विवादित आराजी में वादी मद न0 1 में वर्णित भूमि में 3/4 हिस्सा सहखातेदार काबिज कृषक है, तथा विरासतन अपने हिस्से मुताबिक विवादित आराजी पर काबिज काश्त है प्रतिवादी विवादित आराजी को विभाजित करवाने हेतु कई बार निवेदन करने पर भी विभाजन करवाने को तैयार नहीं हो रहे हैं तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि की काश्त में बाधा डाल रहे हैं। प्रतिवादी कम 1 ता 5 विवादित आराजी पर से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने पर आमादा है तथा विवादित आराजी पर अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठा कर प्रतिवादीगण आये दिन वादी के हिस्से की भूमि में उनके शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते रहते हैं तथा विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द रहन बेचान आदि प्रकार से बिना विभाजन करवाये हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा प्रतिवादीगण ने दिनांक 01/03/2023 को विवादित आराजी में वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया है। इस कारण प्रतिवादी कम 1 ता 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रतिवादी कम 6 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी कम 6 राजस्थान राज्य का विधिक प्रतिनिधि है। जिनके विरूद्व वाद लाने हेतु 80 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत मियादी 60 दिवसीय नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये वाद 80(2) सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति संलग्न वादपत्र है।

यह कि वाद कारण दिनांक–01/03/2023 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी का विभाजन करवाने से इन्कार करने तथा वादी की शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में अवरोध उत्पन्न करने पर उत्पन्न हुआ।

यह कि वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

यह कि वाद उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि – विवादित आराजी ग्राम–खोड़ावदा, .पटवार क्षेत्र–इटावा, भू0अभि क्षेत्र–इटावा ,तहसील– पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. में ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा–0.40 है0 में प्रतिवादी कम 1 ता 2 का नाम हटाया जाकर वादी को विवादित आराजी में 3/4 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। कि विवादित आराजी ग्राम–खोड़ावदा, .पटवार क्षेत्र–इटावा, भू0अभि क्षेत्र–इटावा ,तहसील– पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. में ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा–0.40 है0 में भूमि में वादी के निहित 3/4 हिस्से का विभाजन किया जाकर पृथक खाता पृथक लगान कायम किया जावे पत्थरगढी करवायी जाकर वादी को विभाजन अनुरूप काबिज करवाया जावे तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। कि प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित भूमि मद न0 1 में वर्णित में ग्राम–खोड़ावदा, .पटवार क्षेत्र–इटावा, भू0अभि क्षेत्र–इटावा ,तहसील– पीपल्दा, जिला– कोटा, राज. में ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा–0.40 है0 में भूमि में वादीगण के निहित 3/4 हिस्से में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे वादीगण को बेदखल नहीं करे तथा विवादित आराजी को बिना विभाजन करवाये किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द रहन, बेचान, दान आदि किसी प्रकार से हस्तान्तरण आदि नहीं करे। कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें। दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 व 5 उपस्थित जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी कम 1 व 2 ने वादी के वाद पत्र का जवाब प्रस्ततु कर वादपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुऐ काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पर जिस प्रकार वादी का हक बनता है उसी प्रकार प्रतिवादी कम 1 व 2 का भी हक बनता है तथा वादी की भांति ही प्रतिवादी कम 1 व 2 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, विवादित आराजी में प्रतिवादीकम 1 व 2 का भी हिस्सा है उपरोक्त भूमि को वादी बेचान करना चाहता है तथा प्रतिवादीगणों की पैतृक सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है प्रतिवादीगण के पिता के नाम व सम्पत्ति को खत्म करना चाहते हैं प्रतिवादी के पिता बजरंगा के खाते की जमाबन्दी खाता न0 नया 81 पुराना 69 के ख0न0 155 रकबा 0.05 है0 ख0न0 69 रकबा 0.35 है0 कुल किता रकबा 0.40 है0 स्थित है0 जिसमें सभी पक्षकारान बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त है अपने–अपने कब्जे काश्त के अनुसार शांतिपूर्ण कब्जा काश्त रहने दें तथा बेदखल नहीं करें अर्थात न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। कि प्रतिवादी कम 1 व 2 के हिस्से व कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा कर ले तो वापस कब्जा दिलवाया जावे। कि विवादित आराजी के मौका स्थिति पर पृथक से मेड़ बन्दी है जिसके प्रतिवादी कम 1 व 2 की पृथक खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे तथा तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे वादी का वादपत्र खारिज किया जावे । कि प्रतिवादी से 27/04/2017 को प्राप्त 2,77,000/–रूपये वादी से दिलाये जावें जो कि उपरोक्त भूमि के ऊपर कृषि यंत्र खरीद के लिए लिऐ गये थे जिसका 50/–रूपये का स्टाम्प लिखावट व बिल कृषि यंत्र के छाया प्रतियां काउन्टरक्लेम के साथ प्रस्तुत हैं तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे। प्रतिवादी कम 3 ता 5 की ओर से नाबालिग जर्येवली

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

माता जवाब प्रस्तुत किया जाकर वादी के वादपत्र की समस्त मदों को स्वीकार कर वाद डिक्री किये जाने का कथन किया। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का वादी द्वारा जवाबुल जवाब प्रसतुत कर के काउन्टरक्लेम की समस्त मदें अस्वीकार करते हुऐ प्रार्थना काउन्टरक्लेम प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अस्वीकार की। निवेदन किया कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का काउन्टरक्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावे। वादी व प्रतिवादीगण के दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी।

**तनकी न0 1**– आया वादी विवादित आराजी ग्राम खोड़ावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज में ख0न0155 रकबा 0.05 है0 ख0न0 69 उत्तरी रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम हटवाकर विवादित आराजी में 3/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है। **(जिम्मे वादी)**

**तनकी न0 2** –आया वादी विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। **(जिम्मे वादी)**

**तनकी न0 3** –आया वादी विवादित आराजी में 3/4 हिस्से का विभाजन करवाकर पृथक खाता पृथक लगान कायम करवाने का अधिकारी हैं।**(जिम्मे वादी)**

**तनकी न0 4** –आया प्रतिवादी क्रम 1 व 2 व अन्य सभी सहखातेदारान बाहमी विभाजन के अनुसार काबिज काश्त हैं। **(जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1 व 2 )**
**तनकी न0 5** –आया प्रतिवादी क्रम 1 व 2 विववादित भूमि में पृथक खातेदार दर्ज होन योग्य है। **(जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1 व 2 )**

**तनकी न0 6** –आया प्रतिवादी क्रम 1 व 2 रकम–2,77,000/– रूपये वादी से प्राप्त करने का अधिकारी है। **(जिम्मे प्रतिवादी क्रम 1 व 2 )**

**तनकी न0 7** – अनुतोष।

पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी में नियत की वादी द्वारा साक्ष्य वादी में पी.डब्लू0 1 व पी.डब्लू0 2 साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में पी.डब्लू. प्रर्दश पी.डब्लू. 1 तथा पी.डब्लू. प्रर्दश 2 प्रस्तुत किये, जिस पर जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गयी। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गयी साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली में बहस सुनी गयी। बहस में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित नही हुए तथा वकील वादी द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराया तथा वकील प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 व वकील वादी द्वारा वादी व प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 के मध्य विभाजन हेतु आपसी सहमति से प्रार्थनापत्र मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर हिस्सानुरूप विभाजन करने पर सहमति देते हुए कथन किया कि विवादित आराजी में वादी के हिस्से में ख0न0 155 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 69 रकबा–0.35 है0 भूमि में से रकबा–0.25 है0 भूमि पूर्वी दिशा कुल 0.30

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

वादी) इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध
व जवाब दावा व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 की पैतृक आराजी है तथा विवादित आराजी जो कि वादी के दादा बजरंगा के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी जिस पर नामान्तरकरण न0 128 से वादी के पिता व प्रतिवादी कम 1 व 2 के साथ अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुऐ हैं इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है जिसपर प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम विरासतन दर्ज हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 5 मीना जाति के होना भी निर्विवादित तथ्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी विरासत व उत्तराधिकार के लिए प्रावधान करता है कि– the Rajasthan Tenancy Act, 1955. CHAPTER IV Sec **40.** **Succession to tenants**— When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death. ऐसी सूरत में स्व0 बजरंगा की विरासत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के अधीन शासित होगी तथा स्व0 बजरंगा अनुसूचित जनजाति का होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होते हैं, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रावधानित है कि–'' उपधारा (1) **में निहित कुछ भी होने के बावजूद, इस अधिनियम में निहित कुछ भी संविधान के अनुच्छेद** 366 **के खंड** )25) **के अर्थ के भीतर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार, में अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र, अन्यथा निर्देशित करता है।**'' इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है, तथा ऐसी कोई अधिसूचना आज दिनांक तक प्रदर्शित नहीं हुई है तथा ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 ओल्ड हिन्दु लॉ से शासित होते है। शास्त्रीय हिन्दु कानून के अनुसार पुरूष सदस्य के होते हुए महिला सदस्य विरासत से कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है, प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम स्व0 बजरंगा की मृत्यु के बाद त्रुटिपूर्वक दर्ज कर दिया गया है, प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी के पिता की बहनें है जिनको अपने भाई वादी के पिता के रहते विवादित आराजी में कोई विरासत प्राप्त करने कोई अधिकार नहीं था तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम विवादित आराजी पर दर्ज होने योग्य नहीं था, इस प्रकार प्रतिवादी कम 1 ता 3 का विवादित आराजी में कोई विरासतन अधिकार प्राप्त नहीं होते है इस प्रकार विवादित आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम वादी व प्रतिवादी कम 3 ता 5 के पक्ष में हटाया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार वादी का विवादित आराजी में 3/4 हिस्सा का खातेदार कृषक दर्ज होने योग्य है। वादी इस तनकी को अपने पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

सिद्ध करने में सफल रहा है अतः तनकी न0 1 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 व 2 तय की जाती है।

**तनकी न0 2 –आया वादी विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)**–इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था चूंकि तनकी न0 1 व 3 के विश्लेषण व निष्कर्ष के बाद विवादित आराजी में वादी का 3/4 हिस्सा विरासतन निहित है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 5 के साथ विवादित आराजी का काबिज सहखातेदार कृषक है जिनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी कम 1 व 2 का विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं बनता है तथा प्रतिवादीकम 1 व 2 कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही हैं। इस कारण यह तनकी बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 व 2 तय की जाती है।

**तनकी न0 3 –आया वादी विवादित आराजी में 3/4 हिस्से का विभाजन करवाकर पृथक खाता पृथक लगान कायम करवाने का अधिकारी है।(जिम्मे वादी)** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था चूकि तनकी न0 1 के विश्लेषण व निष्कर्ष के बाद विवादित आराजी में वादी का विरासत 3/4 हिस्सा विरासतन निहित है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 5 के साथ सहखातेदार कृषक है विवादित आराजी में अपने निहित हिस्से को विभाजित करवाने का अधिकार वादी को प्राप्त है इस कारण यह तनकी हक वादी व विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

**तनकी न0 4 –आया प्रतिवादी कम 1 व 2 व अन्य सभी सहखातेदारान बाहमी विभाजन के अनुसार काबिज काश्त है। (जिम्मे प्रतिवादी कम 1 व 2 )** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी कम 1 व 2 पर था तनकी न 1 ता 3 के विश्लेषण से प्रतिवादी कम 1 व 2 का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है इस कारण यह तनकी प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध तय की जाती है।

**तनकी न0 5 –आया प्रतिवादी कम 1 व 2 विववादित भूमि में पृथक खातेदार दर्ज होन योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी कम 1 व 2 )** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी कम 1 व 2 पर था चूंकि तनकी न0 1 व 3 के विश्लेषण व निष्कर्ष के बाद विवादित आराजी में वादी का 3/4 हिस्सा विरासतन निहित है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 5 के साथ सहखातेदार कृषक है, चूंकि वादी व प्रतिवादीकम 1 ता 5 मीना अनुसूचित जनजाति के है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है, तथा वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 ओल्ड हिन्दु लॉ से शासित होते है। शास्त्रीय हिन्दु कानून के अनुसार पुरूष सदस्य के होते हुए महिला सदस्य विरासत से कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है, इस कारण प्रतिवादी कम 1 व 2 का विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं बनता है तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। इस कारण यह तनकी बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 व 2 तय की जाती है।

**तनकी न0 6 –आया प्रतिवादी कम 1 व 2 रकम–2,77,000/– रूपये वादी से प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे प्रतिवादी कम 1 व 2 )** चूंकि तनकी न0 1,2,3 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है तथा उपरोक्त तनकीयात के विश्लेषण के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्रतिवादी कम 1 व 2 को विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकार नहीं है तथा न ही किसी प्रकार का विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा वादी के वादपत्र के विरूद्ध प्रस्तुत काउन्टरक्लेम का अनुतोष कि प्रतिवादी कम 1 व 2 ने वादी को दिनांक– 27/04/2017 को कृषि यंत्र खरीद के लिए अदा की गयी रकम 2,77,000/–रूपये को वादी से दिलाये जावें, भी इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त की जा सकती है। इस प्रकार तनकी न0 4 विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 व 2 व बहक वादी तय की जाती है।

**7. अनुतोष–** उपरोक्त तनकीयात के विश्लेषण व निष्कर्ष के आधार पर चूंकि तनकी न0 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में सिद्ध की जा चुकी है जिसके आधार पर विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम हटाया जाने योग्य है तथा वादी विवादित आराजी का निहित 3/4 हिस्से का सहखातेदार कृषक घोषित किया जाकर निहित 3/4 हिस्से का विभाजन किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 का कान्टरक्लेम खारिज कर अस्वीकार किये जाने योग्य है तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। चूंकि वादी व प्रतिवादी कम 3 ता 5 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में आपसी सहमति के आधार भूमि को विभाजन करने का कथन व सहमति प्रकट की है अतः वादी का वाद तदनुसार निर्णित किये जाने योग्य है कि वादी के हिस्से मे ख0न0 155 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 69 रकबा–0.35 है0 भूमि में से रकबा–0.25 हे0 भूमि पूर्वी दिशा कुल 0.30 है0 भूमि दर्ज किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 5 के पक्ष में ख0न0 69 रकबा 0.35 है0 में से रकबा–0.10 है0 भूमि पश्चिम दिशा दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी कम 1 व 2 का काउन्टरक्लेम खारिज कर अस्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाकर निर्णित जाने योग्य है।

**कियात्मक आदेश**

वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम–खोड़ावदा, पटवार क्षेत्र–इटावा, भू0अभि क्षेत्र–इटावा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज. में ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा–0.40 है0 पर से प्रतिवादी कम 1 ता 2 का नाम हटाया जाकर वादी को विवादित आराजी ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, में से 0.25 है0 पूर्वी दिशा कुल किता 2 कुल रकबा–0.30 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 5 को ख0न0 69 रकबा 0.35 है0 में से रकबा–0.10 है0 भूमि पश्चिम दिशा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा आदेश प्रदान किये जाते हैं कि ग्राम–खोड़ावदा, .पटवार क्षेत्र–इटावा, भू0अभि क्षेत्र–इटावा ,तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज. में ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा–0.40 है0 पर से प्रतिवादी कम 1 ता 2 का नाम हटाया जावे तथा विवादित आराजी ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, में से 0.25 है0 पूर्वी दिशा कुल किता 2 कुल रकबा–0.30 हे0 पर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा ख0न0 69 रकबा 0.35 है0 में से रकबा–0.10 है0 भूमि पश्चिम दिशा पर प्रतिवादी कम 3 ता 5 का नाम दर्ज किया जावे, तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित आराजी में वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक– 11/08/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

"1"

मूल वाद में डिक्री

आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज0

उनवान

राकेश पुत्र रामस्वरूप, जाति–मीना, निवासी–खोड़ावदा, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा राज.

(वादी)

बनाम

(1.) गीता बाई पुत्री बजरंगा, पत्नी वीरभान जाति–मीना, निवासी–खोडावदा, हाल निवासी –लुहावद, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा राज.
(2.) जानकी बाई पुत्री बजरंगा, जाति–मीना, निवासी–खोडावदा, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा राज.
(3.) अंकित नाबालिग पुत्र श्री जोधराज, नाबालिग जर्ये वली माता मीनाक्षी पत्नी श्री जोधराज, जाति–मीना, निवासी–खोड़ावदा, तहसील– पीपल्दा , जिला– कोटा राज.
(4.) खुशी नाबालिग पुत्री श्री जोधराज, नाबालिग जर्ये वली माता मीनाक्षी पत्नी श्री जोधराज, जाति–मीना, निवासी–खोड़ावदा, तहसील– पीपल्दा , जिला– कोटा राज.
(5.) नीतू नाबालिग पुत्री श्री जोधराज, नाबालिग जर्ये वली माता मीनाक्षी पत्नी श्री जोधराज, जाति–मीना, निवासी–खोडावदा, तहसील– पीपल्दा , जिला– कोटा राज.
(6.) राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज।

( प्रतिवादीगण )

वाद अर्न्तगत धारा –88,89,53,188 आर.टी.एक्ट

मिसल नं0 23 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि- वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम–खोड़ावदा, पटवार क्षेत्र–इटावा, भू0अभि क्षेत्र–इटावा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज. में ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा–0.40 है0 पर से प्रतिवादी कम 1 ता 2 का नाम हटाया जाकर वादी को विवादित आराजी ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, में से 0.25 है0 पूर्वी दिशा कुल किता 2 कुल रकबा–0.30 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 5 को ख0न0 69 रकबा 0.35 है0 में से रकबा–0.10 है0 भूमि पश्चिम दिशा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

तथा आदेश प्रदान किये जाते है कि ग्राम–खोडावदा, .पटवार क्षेत्र–इटावा, भू0अभि क्षेत्र–इटावा ,तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज. में ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा–0.40 है0 पर से प्रतिवादी कम 1 ता 2 का नाम हटाया जावे तथा विवादित आराजी ख.न. 155 रकबा–0.05 है0, ख.न. 69 उत्तरी रकबा–0.35 है0, में से 0.25 है0 पूर्वी दिशा कुल किता 2 कुल रकबा–0.30 है0 पर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा ख0न0 69 रकबा 0.35 है0 में से रकबा–0.10 है0 भूमि पश्चिम दिशा पर प्रतिवादी कम 3 ता 5 का नाम दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित आराजी में वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नही करे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। **तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।**

मेरे दस्तखत व मोहर से आज 11.08.2023 को जारी किया जाता है।

| मिलान स्टाम्प | अर्जी दावा | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रूपयै | पैसे | मुदालयह | रूपयै | रूपयै |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | मेहनताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बाबत इजराय हुक्मनाम | 0 | 0 | बाबत इजराय हुक्मनाम | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
इटावा
इटावा